



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2016/माघ 16, 1937

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2016/MAGHA 16, 1937

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2016

सा.का.नि.145(अ).—चूंकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 42) और इसके प्रावधानों के अनुसार सौंपे गए कृत्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 22 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ.1604(अ) द्वारा किया था;

और चूंकि उक्त अधिसूचना तथा पश्चावर्ती अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2007, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787 (अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2007, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162 (अ) दिनांक 12 मार्च, 2009, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2009 और दिनांक 20 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469 (अ) द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है;

अतः अब, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केंद्रीय परिषद) नियम, 2006 के नियम संख्या 3 और 4 के साथ पठित उक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार उक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

(क) अधिनियम की धारा 10(3)(ग) के अधीन राज्य सरकार के प्रतिनिधि :

1	सचिव (ग्रा.वि.), आंध्र प्रदेश सरकार	- सदस्य, पदेन
2	सचिव (ग्रा.वि.), झारखण्ड सरकार	- सदस्य, पदेन
3	सचिव (ग्रा.वि.), मध्य प्रदेश सरकार	- सदस्य, पदेन
4	सचिव (ग्रा.वि.), महाराष्ट्र सरकार	- सदस्य, पदेन
5	सचिव (ग्रा.वि.), राजस्थान सरकार	- सदस्य, पदेन
6	सचिव (ग्रा.वि.), त्रिपुरा सरकार	- सदस्य, पदेन

(ख) अधिनियम की धारा 10 (3)(घ) के अधीन पंचायती राज संस्थाओं, कामगार संगठनों और वंचित समूहों से गैर सरकारी सदस्य :

1	श्री सतीश चिड़ूजी वुइके, जिला परिषद प्रमुख, जिला परिषद अमरावती, बोरगांव डांडे, तालुक - धमनगांव (महाराष्ट्र)	सदस्य
2	श्रीमती शोभा सिंह पूर्व-जिला परिषद प्रमुख, जिला परिषद, हनुमानगढ़ (राजस्थान)	सदस्य
3	श्री सुमती रंजन चमका, अध्यक्ष, ब्लॉक पंचायत, रिस्याबारी जिला - ढलाई (त्रिपुरा)	सदस्य
4	श्री गुलाम मोहम्मद शेख पुत्र श्री अब्दुल अजीज शेख सरपंच, चांजर पंचायत, ब्लॉक मरवाह (किश्तवाड), जम्मू एवं कश्मीर	सदस्य
5	श्रीमती काली बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत बटाकीडोह, गोहडडोगरी ब्लॉक, जिला - बैतूल, (मध्य प्रदेश)	सदस्य
6	श्रीमती केसर देवी रोट पूर्व-सरपंच, कडागडा ग्राम पंचायत, ब्लॉक - सांगवाड़ा, जिला - डूंगरपुर (राजस्थान)	सदस्य
7	श्री प्रेम सिंह मारको अखिल भारतीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय वनवासी मजदूर महासंघ, ग्राम - मोहाली, तहसील- समनपुर, जिला - डिंडोरी (मध्य प्रदेश)	सदस्य

8	श्री प्रमथेश अंबास्ट, को-फाउण्डर, समाज प्रगति सहयोग, गांव - जाट शंकर, तहसील - बागली, जिला - देवास, मध्य प्रदेश - 455227	सदस्य
9	श्री रामचन्द्र खारदी, आरएएस (सेवा निवृत्त), गायत्री शक्तिपीठ, इंद्रखेत, पोस्ट - रामपुर, जिला - डूंगरपुर (राजस्थान)	सदस्य
10	डॉ. धन कुमार पुत्र श्री संतराम वी.पी.ओ. इसराना, तहसील - इसराना, जिला - पानीपत, हरियाणा	सदस्य
11	डॉ. रानी बांग, सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ (एसईएआरसीएच) गडचिरोली, महाराष्ट्र - 442605	सदस्य
12	सुश्री कामायनी स्वामी, महा सचिव, जन जागरण शक्ति संगठन, ए/5 सिद्धार्थ अपार्टमेंट, जगदेव पथ, पी.एस. एयरपोर्ट, पटना बिहार - 800014	सदस्य

(ग) अधिनियम की धारा 10 (3)(ड) के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वाले गैर सरकारी सदस्य :

1	सुश्री मधु खेतान इंटीग्रेटर, प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रधान), ई-1/ए कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली	सदस्य
2	श्री अमिताभ मुखोपाध्याय, सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारी, ए-7/6, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057	सदस्य
3	डॉ. मनोज पांडा, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली, यूनिवर्सिटी इनक्लेव, नार्थ कैम्पस, नई दिल्ली - 110007	सदस्य
4	सुश्री वर्तिका नंदा, सहायक प्रोफेसर, पत्रकारिता विभाग, लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली	सदस्य
5	प्रो. एन.एच. रविन्द्रनाथ, आईआईएससी, सैन्ट्रल फॉर सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बेंगलुरु - 560012	सदस्य
6	डॉ. अमृता पटेल, अध्यक्ष, फाउण्डेशन फॉर इकोलोजिकल सिक्यूरिटी (एफईएस), एचडीडीबी कैम्पस, आनंद, गुजरात - 388001	सदस्य

7	न्यायमूर्ति जे.सी. वर्मा (सेवा निवृत्त), 90, सेक्टर-11, चंडीगढ़	सदस्य
8	श्री एम.एन. रॉय (पूर्व आईएएस), फ्लैट - 05, प्लॉट केबी-2, सेक्टर - 111, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700098	सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों की पदावधि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्त राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 द्वारा विनियमित होंगी।

[फा. सं. एल-11011/01/2013-आर.ई.-I]

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2016

G.S.R. 145(E).—whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 1604(E), dated the 22nd September, 2006 the Central Government constituted the Central Employment Guarantee Council to discharge the functions and perform duties assigned to it by or under the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

And whereas, the term of office of the members nominated *vide* the said notification and subsequent notifications number G.S.R.762(E), dated 5th December, 2007, G.S.R.787(E), dated 24th December, 2007, G.S.R.162(E), dated 12th March, 2009, G.S.R.699 (E), dated 24th September, 2009 and G.S.R.469 (E), dated the 20th June, 2011 has been expired;

Now, therefore, in exercise of the power conferred under sub-sections (1) and (3) of Section 10 of the said Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 read with rules 3 and 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006, the Central Government hereby nominates the following members on the Council under sub-section (3) of Section 10 of the said Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, namely;-

(A) Representatives of the State Government under Section 10(3)(c) of the Act:

1	Secretary (RD), Government of Andhra Pradesh	-Member, ex-officio
2	Secretary (RD), Government of Jharkhand	-Member, ex-officio
3	Secretary (RD), Government of Madhya Pradesh	-Member, ex-officio
4	Secretary (RD), Government of Maharashtra	-Member, ex-officio
5	Secretary (RD), Government of Rajasthan	-Member, ex-officio
6	Secretary (RD), Government of Tripura	-Member, ex-officio

(B) Non- official members from Panchayati Raj Institutes, organisations of workers and disadvantaged groups under section 10(3) (d) of the Act:

1.	Sh. Satish Chinduji Vuike Zila Parishad Pramukh, Zila Parishad, Amaravati, Borgaon Dhande, Taluka- Dhamangaon (Maharashtra)	Member
2.	Smt. Shobha Singh Ex-Zila Parishad Pramukh, Zila Parishad, Hanumangarh (Rajasthan)	Member
3.	Sh. Sumati Ranjan Chamka Chairperson, Block Panchayat, Rishyabari District-Dhalai (Tripura)	Member
4.	Shri Ghulam Mohammad Sheikh S/O Shri Abdul Aziz Sheikh Sarpanch , Panchayat Chanjar, Block Marwah, District-Kishtawar, (J&K)	Member
5.	Smt. Kali Bai, Sarpanch, Gram Panchayat Batakidoh, Gohdadogari Block, District-Betul (Madhya Pradesh)	Member
6.	Smt. Kesar Devi Roat, Ex-Sarpanch, Kadagada Gram Panchayat, Block- Sangwada District -Dungarpur (Rajasthan)	Member
7.	Shri Prem Singh Marko All India President, Akhil Bhartiya Vanavasi Mazdoor Mahasangh, Gram- Mohali, Tehsil-Samnapur, District - Dindori (M.P.)	Member
8.	Shri Pramathesh Ambasta, Co-Founder, Samaj Pragti Sahyog, Village- Jatshankar, Tehsil- Bagli, District- Dewas, Madhya Pradesh-455227	Member
9.	Shri Ramachander Kharadi, RAS (Retd.), Gayatri Shaktipeeth, Indrakhet, Post-Rampur, District-Dungarpur (Rajasthan)	Member
10	Dr. Dhan Kumar S/o Shri Santram V.P.O.- Israna, Tehsil-Israna, District- Panipat (Haryana)	Member
11	Dr. Rani Bang, Society for Education, Action and Research in Community Health (SEARCH) Gadhchiroli, (Maharashtra)- 442605	Member
12	Ms. Kamayini Swamy, General Secretary, Jan Jagran Shakti Sangathan, A/5 Sidhartha Apartment, Jagdeo Path, P.S. Airport, Patna (Bihar) - 800014	Member

(C) Non-official members representing the State under section 10(3) (e) of the Act;

1	Ms. Madhu Khetan. Integrator, Professional Assistance for Development Action (PRADHAN), E-1/A Kailash Colony, New Delhi	Member
2	Shri Amitabh Mukhopadhyay, Retd. IAAS officer, A-7/6, Vasant Vihar, New Delhi-110057	Member
3	Dr. Manoj Panda, Director, Institute of Economic Growth, Delhi University Enclave, North Campus, New Delhi-110007	Member
4	Ms. Vartika Nanda, Asst. Professor, Department of Journalism, Lady Shri Ram College, Delhi	Member
5	Prof. N.H. Ravindranath IISc, Central for Sustainable Technologies, Indian Institute of Science, Bangalore-560012	Member
6	Dr. Amrita Patel, Chairman, Foundation for Ecological Security (FES), HDDDB Campus, Anand, Gujarat-388001	Member
7	Justice J. C. Vemra (Retd.), 90, Sector-11, Chandigarh	Member
8	Shri M. N. Roy (Ex-IAS) Flat -05, Plot KB-2 Sector-III, Salt lake , Kolkata 700098	Member

The term of the office of the above mentioned members shall be for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The other terms and conditions of appointment shall be regulated by the National Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006.

[F. No. L-11011/1/2013-RE-I]

APARAJITA SARANGI, Jt. Secy.